



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944-242400



पत्रांक:- 877 /सा0नि0अनु0/नि0सू0/2025-26

दिनांक- 30/06/2025

"निविदा सूचना"

नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2025-26 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा 52 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 18/07/2025 को अपरान्ह 01:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें दिनांक 19/07/2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से निविदा समिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म निर्धारित दिनांक एवं समय तक अपनी-अपनी सीलबन्द निविदायें कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर में निविदा पेटी में डाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से दिनांक 02/07/2025 से दिनांक 17/07/2025 तक (राजकीय अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निविदा शुल्क जमा कर क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अग्रोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(विकास शर्मा)
महापौर,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक:-

/सा0नि0अनु0/नि0सू0/2025-26

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं श्रुत दर्पण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 01/07/2025 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Prakash

(प्रकाश चन्द्र पन्त)
प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

निर्माण कार्यों हेतु निविदा शर्तें

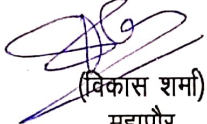
1. निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2025-26 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा।
2. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्रों के साथ वर्ष 2025-26 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष शेड्यूल-बी के अनुसार धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, प्रत्येक कार्य की अलग-अलग मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर में निहित है।
8. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयानुसार निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं।
9. निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
10. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही मान्य होंगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य संख्या व कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम एवं ठेकेदार/फर्म की श्रेणी अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. प्रतिशत आधारित निविदाओं की दरें शब्दों व अंकों दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा दरें दशमलव बिन्दु के दो अंको/स्थान तक ही मान्य होंगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13. दरें आधारित निविदा के प्रत्येक मद की दर, प्रत्येक मद हेतु निर्धारित स्थान पर ही अंकित की जायें।
14. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
15. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मैन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
16. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर रु0 1.00 का हस्ताक्षरयुक्त रसीदी टिकट चस्पा कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
18. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
19. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
20. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
21. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।

22. ठेकेदार कार्य को अनुबन्ध की समयावधि में पूर्ण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध शासनादेशों के अनुक्रम में भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
23. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
24. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य की Defect Liability Period के बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
25. ठेकेदार/फर्म को कार्य का भुगतान धन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा तथा बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
26. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ सुथरे रूप में विभाग को हस्तांतरित करना आवश्यक होगा।
27. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
28. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय से पूर्व समय वृद्धि हेतु परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार केवल 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
29. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार को आगामी 03 (तीन) वित्तीय वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
30. निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
31. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जाँच किसी मान्यता प्राप्त लैब (प्रयोगशाला) से कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जाँच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
32. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- नोट-समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।


(प्रकाश चन्द्र पन्त)
प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर/आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आंगण राशि (लाख में)
1	वार्ड नं०-01 शिमला बहादुर गली न० 4 भटनागर जी के घर से चौहान जी के घर तक व बीच में दीपक ढाढा जी के घर तक रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	19.38
2	वार्ड नं०-01 वनखण्डी रोड़ के प्रारम्भ में पानी निकासी हेतु नाले का निर्माण एवं सड़क के मध्य में ह्यूम पाईप डालने का कार्य।	12.59
3	वार्ड नं० 02 समुन्द्री देवी के घर से पंकज अधिकारी के घर तक रोड़ बनाये जाने का कार्य।	7.27
4	वार्ड नं० 03 ए-ब्लॉक में श्री बाबू घोष के घर से देवाशिष चक्रवर्ती (कन्हाई जी) के घर तक सी.सी. रोड़ एवं दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	11.04
5	वार्ड नं० 04 ट्रांजिट कैम्प में आई ब्लाक मछली बाजार से मिथुन जी के घर होते हुए विधान दास जी के घर से किरन सरदार के घर तक दोनों तरफ नाली एवं सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	11.55
6	वार्ड नं० 05 डॉ० गोपाल के घर से कन्हाई मलिक तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	4.49
7	वार्ड नं० 05 में पवन कुमार के घर से सक्षम के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	4.95
8	वार्ड नं० 05 में श्यामरंग के घर से गौरमंडल के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	4.92
9	वार्ड नं० 06 न्यू शक्ति विहार कालोनी में लोकेश शर्मा के घर से गोविन्द ठाकुर के घर तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.69
10	वार्ड नं० 07 अमित के घर से बण्टी के घर तक सी० सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	10.73
11	वार्ड नं० 08 में द्वीप क्लीनिक से कमलेश के घर तक दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	10.30
12	वार्ड नं० 09 नेतराम राठौर के घर से गोविन्द राम के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	12.87
13	वार्ड नं० 10 मुकेश कुमार रस्तोगी के घर से मंजू मौर्या के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	7.49
14	वार्ड नं० 11 संजयनगर की टूटी हुई सड़कों का पुर्ननिर्माण कार्य।	11.00
15	वार्ड नं० 12 सन्दीप के घर से राधा मौर्या के घर के पास पुलिया तक सड़क निर्माण कार्य।	12.16
16	वार्ड नं० 13 खेड़ा पूर्वी में श्री गणेश पाल के घर से लेकर कादरी मस्जिद के गेट नं० 02 तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	8.85
17	वार्ड नं० 14 भदईपुरा में हरपाल गंगवार के घर से बंगाली मन्दिर तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	15.44
18	वार्ड नं० 15 शेर मुहम्मद के घर से शकील भाई के घर तक नाली व रोड़ का निर्माण कार्य।	12.19
19	वार्ड नं० 16 शांति कालोनी में तेजपाल के घर से धर्मेन्द्र चन्द्रा के घर तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	18.84
20	वार्ड नं० 17 रामचन्द्र यादव के घर से साबिर खान के घर तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण का कार्य।	16.26
21	वार्ड नं० 18 मौ० आजम के घर से सरफुद्दीन के घर तक रोड़, नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	10.78
22	वार्ड नं० 18 मौ० अली के घर से शरीफ अहमद के घर तक रोड़, नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	4.50
23	वार्ड नं० 19 में किच्छा बाईपास रोड़ से श्री राजेश मोहन जौहरी के मकान से होते हुये श्री पतिराम के मकान तक सी०सी० रोड़ व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	16.61
24	वार्ड नं० 20 बबलू के मकान से गुड्डु सूफी के मकान तक सी सी रोड़ एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.19
25	वार्ड नं० 20 कदीर खान के मकान से अफसर अहमद के मकान तक सी०सी० रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	9.59
26	वार्ड नं० 21 रम्पुरा में शिव कुमार शर्मा के घर से लालता प्रसाद दिवाकर (प्रेस वाले) के घर तक सी०सी० सड़क एवं दोनों तरफ नालिया एवं पुलिया निर्माण कार्य।	7.69
27	वार्ड नं० 21 रम्पुरा सलीम डिपों के घर से अनिल कोली के घर नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	5.41
28	वार्ड नं० 22 लीलाधर के घर से विक्की के घर तक सी० सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	13.05
29	वार्ड नं० 23 में रामचरन जी के घर से मिथलेश जी के घर से होते हुए उषा जी के घर तक सी०सी० सड़क व नालियों का निर्माण कार्य।	7.95
30	वार्ड नं० 23 रम्पुरा में चौरासी घण्टा मन्दिर की मरम्मत का कार्य।	4.47
31	वार्ड नं० 24 रम्पुरा में कोमिल कारीगर के घर से सत्यपाल के घर तक दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	3.36

जुबक मोहन सक्सेना
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर

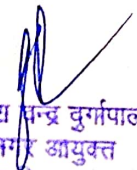
प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर

नरेश चन्द्र दुर्गापाल
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर,
(ऊधम सिंह नगर)

32	वार्ड नं 25 विराट मेडिकल से देवेन्द्र रस्तोगी के घर तक नव निर्मित रोड़ और नाली के बीच में दोनों साइड ईन्टर लॉकिंग टाईल्स लगाये जाने का कार्य।	17.82
33	वार्ड नं 26 सीर गोठिया में महबूब खों के घर से हसीन खों के घर तक नाली सहित सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	7.66
34	वार्ड नं 26 में रोजी के घर से ओम ट्रेडर्स की तरफ कोलम्बस पब्लिक स्कूल के पास सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य।	6.68
35	वार्ड नं 26 सीर गोठिया में पप्पू खों के घर से लेकर शाबुद्दीन के घर तक नाली सहित सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य।	6.50
36	वार्ड नं 27 गॉंधी कालौनी में दक्षिणेश्वर हनुमान मन्दिर के समीप सामुदायिक भवन का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	15.91
37	वार्ड नं 28 सुभाष कालौनी में शिव मंदिर के सामने वाली गली का निर्माण (सी०सी० व नाली) कार्य।	3.61
38	वार्ड नं 29 आदर्श कालौनी में धर्मेन्द्र सिंह के घर से आरिफ के घर तक सी०सी० सड़क व पुलिया निर्माण कार्य।	15.50
39	वार्ड नं 30 में नीलकण्ठ मन्दिर के पास वाली गली गुजराती कालौनी में पुलिया व नाली निर्माण कार्य।	3.27
40	वार्ड नं 30 रस्तोगी राजमा चावल वाली गली व नाली निर्माण कार्य।	8.15
41	वार्ड नं 31 ईश्वर कालौनी में अशोक चौधरी के घर से देव ऋषि शर्मा जी के घर तक सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य।	17.71
42	वार्ड नं 31 में एलायन्स में सी-डी ब्लाक पार्क को जोड़ने वाली रोड़ के दोनों तरफ एवं सी-डी ब्लाक पार्क के चारों ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाये जाने का कार्य।	12.41
43	वार्ड नं 32 अम्बिका विहार अमरजीत तोमर के घर से ओमप्रकाश के घर तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	19.99
44	वार्ड नं 33 में आलौकिक वाटिका कालौनी में सरस्वती देवी के घर से अमित बत्रा के घर तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.00
45	वार्ड नं 34 गली नं 01 से लेकर गली नं 06 तक कट वाली सड़क का पुनः निर्माण कार्य।	3.24
46	वार्ड नं 34 स्थित विद्या मन्दिर से लेकर सिंह कालौनी तक बने डिवाइडर का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	6.23
47	वार्ड नं 35 इन्द्रा कालौनी में गौरंग विश्वास के मकान से सपन अधिकारी के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.45
48	वार्ड नं 36 आदर्श इन्द्रा कालौनी (घास मण्डी) में विजयपाल एडवोकेट के घर से चर्च तक डिवाइडर व एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	14.67
49	वार्ड नं 37 दरियानगर में मुख्य मार्ग के नाले का निर्माण कार्य।	16.80
50	वार्ड नं 38 दशमेश नगर रोड़ के दोनों तरफ नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग से होली चौक तक दोनों नालों का निर्माण कार्य।	18.19
51	वार्ड नं 39 में सुशीला पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं पार्क की दीवारों का जीपोंद्वार का कार्य।	18.47
52	वार्ड नं 40 सिडकुल मटकोटा फार्म के शिव मंदिर के पास छठ घाट निर्माण कार्य।	11.93
कुल योग		567.80


जुलक माहन सक्सेना
 वरिष्ठ वित्त अधिकारी
 नगर निगम रुद्रपुर
 (रुधम सिंह नगर)


 प्र० अधिशासी अभियन्ता
 नगर निगम रुद्रपुर


 नरेश चन्द्र दुर्गापाल
 नगर आयुक्त
 नगर निगम रुद्रपुर,
 (रुधम सिंह नगर)